कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रंमाक : शिविरा–मा/माध्य/सीएसआर/17–18 दिनांक – 16.03.2018

समस्त उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा(प्रथम/द्वितीय)

विषय :– राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा–निर्देश

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में उप–शासन सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग के आदेश क्रमांक पं.17(11)शिक्षा–6 /2010/पार्टदिनांक 13.03.2018 के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश संलग्न के अनुसार जारी किये जाते है।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा–निर्देश अनुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उन में पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उन में पूर्व/नवीन दिशा–निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रंमाक : शिविरा–मा/माध्य/सीएसआर/17–18 दिनांक – 16.03.2018

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

01. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
04. उपायुक्त प्रथम रामाशिप जयपुर।
05. प्रभारी सीएसआर शिक्षा संकुल जयपुर।
06. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
07. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक(सीएसआर)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान–सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : पं.17(11)शिक्षा–6/2010/पार्ट दिनांक : 13.03.2018

प्रेषिति :–

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
3. राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।
4. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

विषय :– राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा–निर्देश।

———

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

महोदय,

राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन दिशा–निर्देश संलग्न अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जावे। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उनमें पूर्व/नवीन दिशा–निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13/3/18
(घनश्याम लाल शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना

Vidyalya ke Bhamashah Yojana

(With Reference to Corporate social Responsibility Concept)

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर।

(सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से दान करो।) — अथर्ववेद (3/24/5)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान ग्रामणीर ग्रमेति।
तमेव मन्ये जानानां यः प्रथमो दक्षिणा मांविवाय।।

(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात् प्रमुख) होता है, अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते हैं, वे जन-समाज के नृपति माने जाते हैं।) — ऋग्वेद (10/107/5)

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बडे पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे– विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण, राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण।

1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

शैक्षिक समाचार

1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढ़ांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती है। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य करवाये जाते है।

1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र कमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किये गये कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये गये है। अतः पूर्व में जारी सभी दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय छात्रावासों को प्रदत्त सहयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया

2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से

2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते है। कार्य का कियान्वयन सम्बन्धित दानादाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से

2.2.1 राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियॉ है:–

i. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग ।

ii. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग।

iii. विद्यालय को गोद लेना।

iv. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना।

v. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना।

2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश

कमांक– प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–10–2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। **(परिशिष्ट–1)**

3. मामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार मामाशाह/दानदाताओ/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन **परिशिष्ट–2** के अनुसार दिया जावेगा

4. मामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिये गये योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु मानदण्ड

4.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल मामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या–3 पर देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे–

i. **प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 30 लाख रूपये से अधिक **योगदान पर**

ii. **उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 60 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iii. **माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 150 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iv. **उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 200 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

4.2 बिन्दु संख्या– 4.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक **दो वर्ष में की जावेगी।**

4.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल मामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप– श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराये जाने पर विद्यालय का नामकरण **श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर** किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

4.4 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

4.5 बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या–3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी।

4.6 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी।

4.7 नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया

4.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किये गये कार्यों के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति / विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।

शैक्षिक समाधान
राजस्थान

4.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

i. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह / दानदाता / औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहां कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

ii. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Donate to A School श्रेणी में भामाशाह / दानदाता / औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

iii. वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण

जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जायेगा।

iv. पोर्टल के माध्यम से Adopt A School श्रेणी के अन्तर्गत गोद लिये जाने पर–

अ. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या– 4.1 के अनुसार होने की स्थिति में भी तदनुरूप नामकरण किया जा सकेगा।

ब. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या– 4.1 में प्रावधित राशि से कम होने पर विद्यालय के नाम के साथ तीन वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय तीन वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर –

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर बीकानेर	
(यह विद्यालय एबीसी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)	
सत्र 2017–18 से 2019–20 तक	दिनांक 01.07.2017 से 01.07.2020

5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

5.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा।

5.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भांति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

5.3 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती

के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा– प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के आदेश कमांक प.6 (18) प्र.सु. /अनु.3/2016 दिनांक 30–03–2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित **जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट–3)** कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

6.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

7. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन

7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में "**शाला प्रेरक**" की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।

7.3 तीस लाख रूपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.4 पांच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रूपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.5 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर

की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

7.5.1 राज्य स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मण्डल उप निदेशक को एवं उप निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

7.5.2 जिला स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 4(7)शिक्षा-1/2014 जयपुर, दिनांक : 11/10/17

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान
जयपुर।

आयुक्त,
सर्व शिक्षा अभियान,
जयपुर।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :- मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Corporate Social Responsibility (CSR) एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : प. 4(7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11.07.2017 द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** की स्थापना की गई है।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में संग्रहित राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। तदनुसार **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आ.एस. झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रभारी शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल, सचिवालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 3) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
10. रक्षित पत्रावली

(बी.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी-शिक्षा

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 विद्यालयों के एकीकरण एवं समन्वयन के फलस्वरूप राज्य के 63315 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाऐं संचालित है।

1.2 राजस्थान में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की ट्रांजीशन दर केवल 48 प्रतिशत थी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 12 तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6,300 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

1.3 उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप राज्य में स्थित कुल 13562 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 13,301 विद्यालय कक्षा 1 से 10/12 के हो गए है (जिसमें से 9,543 विद्यालय कक्षा 1 से 12 एवं 3,769 कक्षा 1 से 10 विद्यालय)।

1.4 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय व एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार 9,895 विद्यालयों को आदर्श व 9,631 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जायेगा। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

1.5 समस्त राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस राशि की पूर्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनसहयोग एवं Corpoarte Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। गत वर्ष जनसहयोग व सीएसआर के अन्तर्गत 100 करोड रुपये से अधिक धनराशि विद्यालयों को प्राप्त हुई है।

1.6 Corpoarte Social Responsibility (CSR) एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

1.7 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करवाये जायेंगे।

1.8 मुख्य मंत्री विद्यादान कोष के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी।

1.9 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में राशि ऑन लाईन जमा कराई जा सकती है; मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जमा कराई गई राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है।

2. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उद्देश्य

2.1 'एज्यूकेशन विज़न 2020' के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनसहयोग सुनिश्चित किया जाना।

2.2 क्राउड फंडिंग के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास कर Centre of Excellence के रूप में विकसित करना।

2.3 राजकीय विद्यालयों के विकास में जनसमुदाय की वृहद स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।

3. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्य

3.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

3.2 परिशिष्ट 'क' में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कार्य राज्य सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कर करवाये जा सकेंगे।

4. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से कार्यों की स्वीकृति

4.1 कोष में प्राप्त राशि का उपयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु किया जा सकेगा। कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर यथा संभव समान रूप से सभी जिलों में कार्य हेतु आवंटन करने का प्रयास किया जायेगा।

4.2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं जिला स्तरीय निष्पादक समितियों से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगी।

4.3 राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति प्राप्त परियोजनाओं की उपयोगिता का आंकलन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

4.4 राज्य निष्पादन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्कूलों को राशि का निर्धारण के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

4.5 आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर की छूट प्राप्त करने के लिए प्राप्त राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य है। अतः राज्य स्तरीय निष्पादक समिति मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में स्वीकृति हेतु कुल उपलब्ध राशि के कार्य स्वीकृत कर सकेगी ताकि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में उपलब्ध राशि उसी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत उपयोग हो सके।

4.6 राज्य निष्पादक समिति परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् प्रत्येक परियोजना की प्रकृति के आधार पर समय सीमा व धनराशि का अवमोचन (Release of Installments) निर्धारित करेगी।

4.7 राज्य निष्पादक समिति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात परियोजना तत्काल ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.8 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से कार्यों की स्वीकृति हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जायेगी।

4.9 विद्यादान कोष में प्राप्त राशि के समय पर उपयोग एवं स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की होगी।

4.10 राज्य सरकार एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की साधी परिषद् मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से परियोजना/कार्यों की स्वीकृति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश राज्य निष्पादक समिति/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को जारी कर सकेगी।

5. स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण

5.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डानुसार राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति द्वारा कराया जावेगा।

5.2 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डानुसार राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कराया जावेगा।

5.3 विशेष परिस्थितियों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का निष्पादन अन्य कार्यकारी संस्था से करवा सकेगी।

5.4 राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जावेगी।

5.5 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के कियान्वयन की सतत समीक्षा की जावेगी।

5.6 जिला परियोजना समन्वयक रमसा एवं एसएसए द्वारा स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की प्रगति ज्ञान संकल्प पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन की जावेगी।

5.7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राज्य निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि का उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

5.8 जिला परियोजना समन्वयक, रमसा एवं एसएसए द्वारा कोष में प्राप्त राशि से कियान्वित होने वाली समस्त परियोजनाओं के कियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6. प्रशासनिक व्यय

6.1 कोष में प्राप्त कुल राशि का अधिकतम 3.5 प्रतिशत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मद मे व्यय किया जा सकेगा।

6.2 प्रशासनिक मद से ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के प्रचार प्रसार के लिए भी राशि व्यय की जा सकेगी; यह राशि बिन्दु संख्या 6.1 में वर्णित प्रशासनिक मद हेतु अनुमत राशि 3.5 प्रतिशत का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. धनराशि का अवमोचन

शैक्षिक समाचार

7.1 निर्माण कार्य (सिविल वर्क) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कियान्वयन के लिए राज्य स्तर से जिलों को राशि दो किस्तों में जारी की जावेगी। परियोजना/कार्य की लागत की 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति के पश्चात जारी की जावेगी। द्वितीय किस्त की राशि प्रथम किस्त की राशि के 75 प्रतिशत के उपयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात जारी की जावेगी।

7.2 अन्य परियोजनाओं/कार्यों हेतु कार्य की प्रकृति के अनुसार धनराशि का अवमोचन (Release of Installments) का निर्धारण कार्य/परियोजना की स्वीकृति के समय राज्य स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा किया जावेगा।

8. पूर्णता प्रमाण–पत्र

8.1 राजकीय कार्यकारी संस्था के द्वारा कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

9. अभिलेख/परिसम्पतियों का ब्यौरा संधारण

9.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राशि के द्वारा निर्मित अचल एवं चल परिसम्पतियों का स्वामित्व राज्य सरकार को होगा तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अभिलेख/परिसम्पतियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा।

9.2 पूर्ण तथा प्रगतिरत परियोजनाओं का विवरण तथा उनसे सम्बन्धित छाया चित्र ज्ञान संकल्प पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10. अंकेक्षण

10.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा।

10.2 प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन को ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

11. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशी एवं उपयोग का समस्त ब्यौरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शासी परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

परिशिष्ट–क

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत अनुमत कार्य

क्र.सं.	अनुमत कार्य
1.	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित वे परियोजनाएं, जिनके लिए 75 प्रतिशत या अधिक राशि दानदाताओं/संस्थाओं इत्यादि से प्राप्त हो चुकी है। शेष राशि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से प्रति ईकाई गणना के आधार पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। आवंटित की जाने वाली शेष राशि की गणना परियोजना की सम्पूर्ण लागत से न होकर अधिकतम एक ईकाई की राशि की पूर्ति के लिए की जावेगी।
2.	राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नलिखित कार्य • शुद्ध पीने का पानी, शौचालय तथा पानी निकासी की व्यवस्था • कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत यंत्र व फिटिंग एवं फर्नीचर • कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदा व फर्नीचर एवं कम्प्यूटर व अन्य उपकरण • प्रयोगशाला कक्ष मय बरामदा एवं फर्नीचर व प्रयोगशाला उपकरण • पुस्तकालय कक्ष एवं पुस्तकें व फर्नीचर • विद्यालय की चार दिवारी का निर्माण • खेलकूद सुविधाओं का विकास मय खेल उपकरण • कार्यालय कक्ष/संस्था प्रधान कक्ष/बालिका गतिविधि कक्ष/कला व शिल्प कक्ष • विद्यालयों में मरम्मत कार्य हेतु • विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर • स्मार्ट क्लास रूम एवं अन्य सम्बन्धित उपकरण
3	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित अन्य परियोजनाएं
4	शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु अन्य कार्य

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 4(7)शिक्षा-1 /2014 जयपुर, दिनांक : 11/07/2017

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानो एवं दानदाताओ/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-
   (i) राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार सीएसआर राशि का संग्रहण व प्रबन्धन करना।
   (ii) राजकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए दानदाताओं / भामाशाहों / संस्थाओं व क्राउड फण्डिंग (Crowd Funding) के माध्यम से आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।
2. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निम्नानुसार व्यवस्था होगी :-
   (i) दानदाता / सीएसआर कम्पनी स्वयं अपनी परियोजना / गतिविधि को क्रियान्वित कर सकती है।
   (ii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं द्वारा चिन्हित सेवा प्रदाता के माध्यम से परियोजना / गतिविधि का क्रियान्वयन कर सकती है।

(iii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी परियोजना/गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती है।

(iv) दानदाताओं द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थापित एज्यूकेशन फंड में योगदान दिया जा सकता है, जिसका उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा। इस फंड में की गयी योगदान राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस फंड में विदेशी स्त्रोतो से योगदान प्राप्त करने के लिये Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण कराने का प्रयास किया जावेगा।

3. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के Memorandum of Association के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त होने वाले दान / धनराशि का प्रबंधन परिषद द्वारा किया जा सकता है। अतः राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी होगी।

4. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था होगी :-

(i) राज्य स्तर पर

(a) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाषी परिषद जिसके शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव हैं, राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संबंध में नीति निर्धारण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

(b) स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य स्तरीय निष्पादक समिति शाषी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन का कार्य करेगी।

(c) राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संविक्षा समिति राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं तथा सीएसआर कम्पनीज एवं

दानदाताओं के द्वारा स्वनिर्मित परियोजनाओं की संवीक्षा (Screening) एवं अनुमोदन का कार्य करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	उपाध्यक्ष
2	उपायुक्त (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य सचिव
3	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित अधिकारी (उपायुक्त के समकक्ष)	सदस्य
4	नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
5	नियंत्रक वित्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
6	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
7	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
8	उप निदेशक (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
9	उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
10	उप निदेशक (शाला दर्शन प्रकोष्ठ), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य

(ii) **जिला स्तर पर**

(a) जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला स्तरीय निष्पादन समिति जिला स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(b) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संवीक्षा समिति (Screening Committee) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल पर जिला स्तर पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर राज्य स्तर पर गठित Screening कमेटी को अनुमोदन हेतु अनुशंसा करेगी। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव
2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय	सदस्य
5	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
6	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य

(iii) विद्यालय स्तर पर

(a) विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/ विद्यालय प्रबन्ध समिति, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के विद्यालय स्तर पर निष्पादन के लिए कार्यकारी संस्था होगी एवं निम्न प्रकार से उत्तरदायी होंगी :-

- राशि प्राप्त करना तथा निर्धारित समय सीमा में उपयोग करना।
- निर्धारित मानदण्डानुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- परियोजना क्रियान्वयन प्रगति से अवगत करवाना व परियोजना समाप्ति पर अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

5. उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है :-

(i) एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के लिए पृथक से खाते का संधारण किया जायेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑडिट करवाई जायेगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस फण्ड में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ अन्य किसी योजना जैसे मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता /डोनेशन को इस एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रैंथ में से सीएसआर गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं संचालन हेतु

पृथक से सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन शिक्षा सकुल में किया जा चुका है। इस सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा ही राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) से संबंधित कार्य सम्पादित किया जावेगा। अत: वित्त विभाग से इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन से सम्बन्धित सभी वैधानिक अनुमति (Statutory Permissions) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समक्ष प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी।

(v) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त राशि के स्रोत की पूर्ण जानकारी का संधारण किया जायेगा।

(vi) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जायेंगे।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

(अशफाक हुसैन)
विशिष्ठ शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग (सीएसआर) विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक : डी/100/मं.मं./2017 जयपुर, दिनांक 11.07.2017 के क्रम में।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयोजना)
9. वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5)
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6)
11. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
13. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
14. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान।
15. रक्षित पत्रावली।

(आर.एस. झालानी)
शासन उप सचिव-प्रथम

परिशिष्ट–2

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन

क्र. स.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	**शिक्षा मित्र** 5000 रूपये से 25 हजार रूपये	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पट्टिका (भामाशाह बोर्ड) संस्था प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	**शिक्षा साथी** 25 हजार रूपये या अधिक राशि (किसी सम्पूर्ण कार्य अथवा वस्तु विशेष हेतु) या लागत मूल्य कार्य /वस्तु से 1 लाख रूपये तक	• क.सं.–1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क.सं.–1 की श्रेणी के अनुसार	
		• सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो)	• वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम–3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनमोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।	कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण ईकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय

शैक्षिक संवाद राजस्थान

1	2	3	4	5
3	**शिक्षा श्री** 1 लाख रूपये से अधिक व 15 लाख रूपये तक	• क.सं.–1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क.सं.–1 व 2 की श्रेणी के अनुसार	
		• शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन	• ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु– ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु– ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे।	

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1	2	3	4	5
4	**शिक्षा भूषण** 15 लाख रूपये से अधिक व 1 करोड रूपये तक	• क.सं.–1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर मामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क.सं.–1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के **"हॉल ऑफ फेम"** पर दानदाता/ मामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना।	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिप जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर **"हॉल ऑफ फेम"** में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित मामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ सीएसआर प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।	

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1	2	3	4	5
5	**शिक्षा विभूषण** 1 करोड रूपये से अधिक	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर मामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिप जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक प. 8(18)प्रसु./अनु.3/2016 जयपुर दिनांक 30-3-2016

:: आदेश ::

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015–16 के बिन्दु संख्या 103 की पालना में प्रदेश के सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी मोनीटरिंग के लिए जिला स्कूल सलाहकार समिति का गठन किया जाता है :–

1. <u>समिति गठन</u>

जिला स्कूल सलाहकार समिति का मुख्य कार्य जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सलाह जारी करना तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात उसकी क्रियान्विति की समीक्षा करना है। समिति में जिले में शिक्षा के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न विषयों के विज्ञ, सेवानिवृत्त शिक्षाविद्, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित गैर सरकारी विद्यालय का प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी आदि को सम्मिलित करते हुए निम्न अनुसार गठन किया जाता है:–

क्र.सं.	विवरण	पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित लोकसभा सदस्य– (परिशिष्ट क अनुसार)	सदस्य
3.	जनप्रतिनिधिगण–4 (दो विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख एवं एक प्रधान (जिले वार संलग्न परिशिष्ट ख,ग,घ अनुसार)	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम एवं द्वितीय)	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (प्रथम एवं द्वितीय)	सदस्य सचिव
7.	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य
8.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	सदस्य
9.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद	सदस्य
10.	अभिभावक (न्यूनतम 4 सदस्य) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
11.	सिविल सोसायटी–2 (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
12.	शिक्षक वर्ग (न्यूनतम 4 जिसमें 1 प्रधानाचार्य, 1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, 1 प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 अध्यापक हो) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
13.	सेवानिवृत्त राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पुरस्कृत एक शिक्षक (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
14.	जिले में श्रेष्ठ परिणाम अर्जित गैर सरकारी विद्यालय का प्रधानाचार्य (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
15.	संबंधित जिले के भामाशाह–2 (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
16.	स्कूल शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त) (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	विशेष आमन्त्रित

उक्त समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सदस्य सचिव द्वारा जिला स्कूल सलाहकार समिति से संबंधित समस्त कार्यवाही संपादित की जायेगी।

2. <u>उद्देश्य–</u>

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित

र-14

28

उपयोग हो तथा विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां को पूर्ण सक्रियता एवं मनोयोग के साथ संपादित करायें। जिससे बालकों को कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त हो सके। इसके लिये विद्यालयों का सतत निरीक्षण एवं मूल्यांकन आवश्यक है। जिले में संचालित राजकीय विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के विकास, विद्यालय में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का समुचित उपयोग, अध्यापकों, अभिभावकों, ग्रामीण शिक्षा, विद्यालय प्रबन्धन समिति के बीच सामंजस्य स्थापित करने, विद्यालयों का सतत निरीक्षण कर गुणात्मक सुधार, छात्रों के शैक्षिक स्तर का सतत मूल्यांकन कर उसमें सुधार के लिए सलाह देने व जिला स्तरीय योजना निर्माण हेतु जिला स्कूल सलाहकार समिति की स्थापना की जा रही है।

3. <u>जिला स्कूल सलाहकार समिति का संचालन–</u>

जिला स्कूल सलाहकार समिति की त्रैमासिक एवं वार्षिक बैठकें आयोजित होंगी। त्रैमासिक बैठक माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी माह में तथा वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में आयोजित की जायेगी। इससे संबंधित कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा संपादित की जायेगी।

4. <u>समिति के कार्य–</u>

- जिले में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम, 2011 के प्रावधानों की क्रियान्विति कराने में सलाह देना।
- जिले में स्थित प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति को सलाह देना।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- जिले में शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सलाहकारी योजना बनाना।
- जिले की राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर की जांच कर उसमें सुधार हेतु विद्यालयवार कार्ययोजना तैयार करना व इसकी नियमित समीक्षा कर सुधार के प्रयास किये जाना।
- विद्यालयों के भौतिक विकास हेतु समग्र योजना तैयार कर भामाशाह/जनप्रतिनिधियों/नरेगा/सांसद कोष/विधायक कोष द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाना।
- अध्यापकों के अध्यापन कार्य के संबंध में सलाहकारी योजना बनाना।
- अध्यापकों की विद्यालयों में समय पर उपस्थिति एवं पूर्ण ठहराव सुनिश्चित करना।
- राजकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संचालित करना तथा विद्यार्थियों का वर्ष भर ठहराव हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धियां, शतप्रतिशत उपस्थिति एवं प्रेरणा हेतु आवश्यक कार्य करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों के विकास के लिए सलाह देना तथा श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बालकों तथा कुशल, मेहनती एवं अच्छे परिणाम देने वाले अध्यापकों को जिला स्तर पर पुरस्कार देने के लिए चिन्हित कर अनुशंसा करना।
- विद्यालय के समेकित विकास हेतु समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंध मजबूत करने हेतु कार्ययोजना।
- विद्यालयों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं भौतिक संसाधनों की सुनिश्चितता हेतु विभिन्न समितियां गठित करना।
- प्रतिवर्ष जिले की शैक्षिक योजना की समीक्षा तथा वार्षिक योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सलाहकारी कार्य योजना तैयार करना।
- जिले के भीतर अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए सलाह देना।
- सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाई जाने वाली वार्षिक योजना के निर्माण में सलाह देना।

- जिले के स्कूलों में पेयजल व्यवस्था, शौचालय रखरखाव एवं भवनों की रंगाई पुताई तथा लघु स्तर की मरम्मत के लिए भामाशाहों एवं उद्योगपतियों तथा सांसद कोष तथा विधायक कोष से राशि स्वीकृत करने का प्रयास करना।

5. प्रशासनिक नियंत्रण:-
समिति का प्रशासनिक नियंत्रण, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अधीन होगा।

6. बैठक हेतु यात्रा व्यय:-
गैर सरकारी सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए रेल या बस का वास्तविक आने व जाने का किराये का पुनर्भरण जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान के मद से किया जायेगा।

7. वार्षिक रिपोर्ट:-
समिति द्वारा प्रतिवर्ष गत शैक्षणिक सत्र की वार्षिक रिपोर्ट माह सितम्बर तक राज्य सरकार को भेजनी होगी।

(रमेश चन्द्र बाखड़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

शैक्षिक समाचार

1. सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. वरिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3. माननीय लोक सभा सदस्य श्री..................।
4. माननीय विधान सभा सदस्य श्री [illegible]।
5. संबंधित जिला प्रमुख श्री [illegible]।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)।
10. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/शिक्षा (ग्रुप-1/5/6)।
11. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
12. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
13. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
14. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
15. समस्त जिला कलक्टर, ...।
16. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ...।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक/माध्यमिक)(प्रथम/द्वितीय) ....।
18. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ...।
19. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ...।
20. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ...।
21. सम्बन्धित ....।
22. रक्षित पत्रावली।

(के.के. खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

C:\Users\s\Downloads\DSAC (3).docx

परिशिष्ठ 'क'

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय लोकसभा सदस्यों की सूचीः—

क्र. सं.	जिला	लोकसभा सदस्यों का नाम
1.	अजमेर	श्री सांवरलाल जाट
2.	अलवर	महन्त चांदनाथ
3.	बांसवाड़ा	श्री मानशंकर निनामा
4.	बारां	श्री दुष्यंत सिंह
5.	बाड़मेर	कर्नल सोनाराम
6.	भरतपुर	श्री बहादुर सिंह कोली
7.	भीलवाड़ा	श्री सुभाष बहेड़िया
8.	बीकानेर	श्री अर्जुन मेघवाल
9.	बून्दी	श्री ओम बिरला
10.	चित्तौड़गढ़	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
11.	चुरू	श्री राहुल कस्वां
12.	दौसा	श्री हरीशचन्द्र मीणा
13.	धौलपुर	श्री मनोज राजोरिया
14.	डूंगरपुर	श्री मानशंकर निनामा
15.	श्रीगंगानगर	श्री निहाल चन्द
16	हनुमानगढ़	श्री निहाल चन्द
17.	जयपुर शहर	श्री रामचरण बोहरा
18.	जैसलमेर	कर्नल सोनाराम
19.	जालौर	श्री देवजी एम. पटेल
20.	झालावाड़	श्री दुष्यंत सिंह
21.	झुन्झुनू	श्रीमती संतोष अहलावत
22.	जोधपुर	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
23.	करौली	श्री मनोज राजोरिया
24.	कोटा	श्री ओम बिरला
25.	नागौर	श्री सी.आर. चौधरी
26.	पाली	श्री पी.पी. चौधरी
27.	प्रतापगढ़	श्री अर्जुनलाल मीणा
28.	राजसमन्द	श्री हरि ओम राठौड़
29.	सवाई माधोपुर	श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया
30.	सीकर	श्री सुमेधानन्द सरस्वती
31.	सिरोही	श्री निहाल चन्द
32.	टोंक	श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया
33.	उदयपुर	श्री अर्जुनलाल मीणा

C:\Users\...\Downloads\OSAC (3).docx

236

परिशिष्ठ "ख"

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय विधान सभा सदस्यों की सूची:–

क्र. सं.	जिला	विधायक का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1.	अजमेर	1श्री भागीरथ चौधरी 2श्री शत्रुघ्न गौतम	किशनगढ केकडी
2.	अलवर	1श्री जयराम जाटव 2श्री ज्ञानदेव आहुजा	अलवर ग्रामीण (अजा) रामगढ
3.	बांसवाडा	1श्री धनसिंह रावत 2श्री भीमा भाई	बांसवाडा (अजजा) कुशलगढ (अजजा)
4.	बारां	1.श्री ललीत मीणा 2.श्री रामपाल मेघवाल	किशनगंज (अजजा) बारां–अटरू(अजा)
5.	बाडमेर	1.श्री कैलाश चौधरी 2.श्री लादूराम विश्नोई	बायतू गुढामलानी
6.	भरतपुर	1श्रीमती अनिता 2.श्री विजय बंसल	नगर भरतपुर
7.	भीलवाडा	1.श्री बालूराम चौधरी 2.श्रीमती कीर्ति कुमारी	सहाडा माण्डलगढ
8.	बीकानेर	1.श्री विश्वनाथ 2.श्री गोपाल कृष्णा	खाजूवाला (अजा) बीकानेर–पश्चिम
9.	बून्दी	1.श्री अशोक डोगरा	बून्दी
10.	चित्तौड़गढ़	1श्री अर्जुन लाल जीनगर 2.श्री सुरेश धाकड़	कपासन (अजा) बेगू
11.	चुरू	1.श्री जयनारायण पूनियां 2.श्री खेमाराम	तारानगर सुजानगढ़(अजा)
12.	दौसा	1.श्रीमती अलका सिंह 2.श्री शंकर लाल शर्मा	बांदीकुई दौसा
13.	धौलपुर	1.श्रीमती रानी सिलोटिया 2.श्री प्रद्युम्न सिंह	बसेड़ी (अजा) राजाखेडा
14.	डूंगरपुर	1श्रीमती अनिता कटारा 2.श्री सुशील कटारा	सागवाडा (अजजा) चौरासी (अजजा)
15.	हनुमानगढ़	1श्री कृष्णा कड़वा 2.श्रीमती द्रोपती	संगरिया पीलीबंगा (अजा)
16.	जयपुर	1.श्री प्रेमचन्द बैरवा 2.श्री कैलाश वर्मा	दूदू (अजा) बगरू (अजा)
17.	जैसलमेर	1.श्री छोटू सिंह 2श्री शैतान सिंह	जैसलमेर पोकरण
18.	जालौर	1.श्रीमती अमृता मेघवाल 2.श्री पूराराम चौधरी	जालौर (अजा) भीनमाल
19.	झालावाड़	1श्री रामचन्द 2.श्री नरेन्द्र नागर	डग (अजा) खानपुर
20.	झुन्झुनू	1.श्री सुन्दर लाल 2.श्री शुभकरण चौधरी	पिलानी (अजा) उदयपुरवाटी

237

21.	जोधपुर	1श्री पल्लाराम 2.श्रीमती कमला	फलौदी बोपालगढ(अजा)
22.	करौली	1श्रीमती राजकुमारी 2श्री दर्शन सिंह	हिण्डौन (अजा) करौली
23.	कोटा	1श्री हीरालाल नागर 2.श्री भवानी सिंह राजावत	सांगोद लाडपुरा
24.	नागौर	1श्री मनोहर सिंह 2.डॉ मंजू बाघमार	लाडनूं जायल(अजा)
25.	पाली	1श्री ज्ञानचन्द पारख 2.श्री केसाराम चौधरी	पाली मारवाड जंक्शन
26.	प्रतापगढ़	1.श्री गौतमलाल	धरियावद(अजजा)
27.	राजसमन्द	1श्री हरिसिंह रावत 2.श्री कल्याणसिंह चौहान	भीम नाथद्वारा
28.	सवाई माधोपुर	1.श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी 2श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल	सवाई माधोपुर खण्डार (अजा)
29.	श्रीगंगानगर	1श्री गुरजंट सिंह 2.श्री राजेन्द्र सिंह भादू	भादुलशहर सूरतगढ़
30.	सीकर	1श्री गोरधन 2.श्री रतन लाल जलधारी	धींद (अजा) सीकर
31.	सिरोही	1श्री समाराम परसिया 2.श्री जगसीराम	पिण्डवाड़ा–आबू (अजजा) रेवदर (अजा)
32.	टोंक	1श्री हीरालाल 2श्री अजीत सिंह	निवाई (अजा) टोंक
33.	उदयपुर	1.श्री नाना लाल अहारी 2.श्री अमृतलाल	खैरवाड़ा(अजजा) सलूम्बर(अजजा)

परिशिष्ट "ग"

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनीत माननीय जिला प्रमुख सदस्यों की सूची:-

क्र.सं.	जिला	जिला प्रमुख का नाम
1.	अजमेर	सुश्री वंदना नोगिया
2.	बारां	श्री नन्दलाल सुमन
3.	भरतपुर	श्रीमती बीना
4.	भीलवाडा	श्री पीरचन्द सिंघवी
5.	चित्तौड़गढ़	श्रीमती लीला जाट
6.	चुरू	श्री हरलाल सिंह साहरण
7.	धौलपुर	श्री धर्मपाल सिंह
8.	डूँगरपुर	श्री माधवलाल वारहठ
9.	श्रीगंगानगर	श्रीमती प्रियंका
10.	हनुमानगढ़	श्री कृष्णकुमार
11.	जयपुर	श्री मूलचन्द मीणा
12.	जालौर	श्री पने सिंह
13.	झालावाड	श्रीमती टीना कुमारी
14.	जोधपुर	श्री पूनाराम
15.	पाली	श्री प्रेमाराम
16.	प्रतापगढ	श्रीमती सारिका
17.	राजसमन्द	श्री परवेश कुमार
18.	सीकर	सुश्री अपर्णा रोलन
19.	सिरोही	श्रीमती पायल परसरामपुरिया
20.	टोंक	श्री सत्यनारायण
21.	उदयपुर	श्री शांतिलाल मेघवाल
22.	अलवर	श्रीमती रेखा देवी
23.	बांसवाडा	श्रीमती रेशम मालवीय
24.	बाडमेर	श्रीमती प्रियंका
25.	बीकानेर	श्रीमती सुशीला
26.	बून्दी	श्रीमती सोनिया
27.	दौसा	श्रीमती गीता खटाणा
28.	जैसलमेर	श्रीमती अंजना
29.	झुन्झुनू	श्रीमती सुमन
30.	करौली	श्री अभय कुमार
31.	कोटा	श्री सुरेन्द्र
32.	नागौर	श्रीमती सुनिता
33.	सवाई माधोपुर	श्रीमती विनिता

र · भोपाल

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय प्रधानों की सूचीः-

क्र. सं.	जिला	प्रधान का नाम	पंचायत समिति
1.	अजमेर	श्रीमती पूजा	केकडी
2.	अलवर	श्रीमती सीमा यादव	मुण्डावर
3.	बांसवाडा	दूदाराम	बांसवाडा
4.	बारां	श्रीमती मंजूबाई	अन्ता
5.	बाडमेर	श्री हरिसिंह	कल्याणपुर
6.	भरतपुर	श्रीमती गायत्री देवी	डीग
7.	भीलवाडा	श्री शिवजीराम मीणा	जहाजपुर
8.	बीकानेर	श्रीमती राधा	बीकानेर
9.	बून्दी	श्री प्रशान्त	केशोरायपाटन
10.	चित्तौडगढ	श्रीमती जसोदा मीणा	निम्बाहेडा
11.	चुरु	श्रीमती ज्योति	चुरु
12.	दौसा	श्रीमती रामकली मीणा	लालसोट
13.	धौलपुर	श्री मीनेन्द्र	सैपऊ
14.	डूंगरपुर	श्री चिमनलाल	आसपुर
15.	श्रीगंगानगर	श्रीमती इन्दु शर्मा	रायसिंहनगर
16.	हनुमानगढ	श्रीमती संतोष	भादरा
17.	जयपुर	श्रीमती संतोष	दूदू
18.	जैसलमेर	श्रीमती उषा राठौड	सम
19.	जालोर	श्री तब्बाराम	सांचोर
20.	झालावाड़	सुश्री भारती बाई	झालरापाटन
21.	झुन्झुनू	श्रीमती मनीषा	खेतडी
22.	जोधपुर	श्री नीरज	लूणी
23.	करौली	श्रीमती इन्दु देवी जाटव	करौली
24.	कोटा	श्रीमती सावित्री	सांगोद
25.	नागौर	श्रीमती दुर्गा	डेगाना
26.	पाली	श्रीमती शोभा	रायपुर
27.	प्रतापगढ	श्री महावीर सिंह	छोटी सादडी
28.	राजसमन्द	श्रीमती शोभा पुरोहित	खमनौर
29.	सवाई माधोपुर	श्री देवनारायण	चौथ का बरवाड़ा
30.	सीकर	श्रीमती सुनिता	फतेहपुर
31.	सिरोही	श्रीमती टीपू बाई	पिण्डवाड़ा
32.	टोंक	श्रीमती शकुन्तला	देवली
33.	उदयपुर	श्री कन्हैयालाल मीणा	लसाडिया